

निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 99/2025 (मुन्ताकिल प्रार्थना पत्र)

1. श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी स्व. श्री गुलाबचन्द
2. नारायण लाल पुत्र स्व. श्री गुलाबचन्द
3. मोहन लाल पुत्र स्व. श्री गुलाबचन्द
समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम डागरों की ढाणी, ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमू जिला जयपुर।
4. श्रीमती धापादेवी पत्नी कालूराम जाट पुत्री स्व. श्री गुलाब चन्द जाति जाट निवासी ग्राम ईशरवाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. श्रीमती मीना देवी पत्नी सालगराम पुत्री स्व. श्री गुलाब चन्द स्व. श्री गुलाब चन्द जाति जाट निवासी ग्राम ईशरवाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. श्रीमती श्रवणी देवी पत्नी श्री भीवाराम पुत्री स्व. श्री गुलाब चन्द जाति जाट निवासी ग्राम ईशरवाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. श्रीमती छोटादेवी पत्नी सुल्तान पुत्री स्व. श्री गुलाब चन्द जाति जाट निवासी ग्राम ईशरवाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. राकेश कुमार पुत्र मुरलीधर जाट दोहिता स्व. श्री गुलाब चन्द जाति जाट निवासी ग्राम ईशरवाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
9. हंसा पुत्री मुरलीधर दोहिती स्व. श्री गुलाब चन्द जाति जाट निवासी ग्राम ईशरवाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. संजना कुमारी पुत्री मुरलीधर दोहिती स्व. श्री गुलाब चन्द जाति जाट निवासी ग्राम ईशरवाला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।



प्रार्थीगण

बनाम

श्री दिलीप सिंह आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर।

2. सुवालाल पुत्र स्व. श्री भगवान सहाय जाति जाट निवासी ढाणी डागरों वाली, ग्राम चीथवाडी तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. नन्दलाल पुत्र स्व. श्री भगवान सहाय जाति जाट निवासी ढाणी डागरों वाली, ग्राम चीथवाडी तहसील चौमू जिला जयपुर।
4. श्रीमती मूंगी देवी पत्नी स्व. श्री हनुमान सहाय जाति जाट निवासी ढाणी डागरों वाली, ग्राम चीथवाडी तहसील चौमू जिला जयपुर।
5. कानाराम पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय जाति जाट निवासी ढाणी डागरों वाली, ग्राम चीथवाडी तहसील चौमू जिला जयपुर।
6. वावूडी देवी उर्फ कान्ता देवी पुत्री स्व. श्री हनुमान सहाय पत्नी गणपत जाट जाति जाट निवासी ढेहर का वालाजी, सीकर रोड, जयपुर जिला जयपुर।

जिला कलक्टर
जयपुर

7. संतोष देवी पुत्री स्व. श्री हनुमान सहाय पत्नी मुकेश जाति जाट निवासी दुल्हारिंह की ढाणी, करवा चौमू, तहसील चौमू जिला जयपुर ।
8. अनोख देवी पुत्री स्व. श्री हनुमान सहाय पत्नी जितेन्द्र जाति जाट निवासी दुल्हारिंह की ढाणी, करवा चौमू, तहसील चौमू जिला जयपुर ।

अप्रार्थी / प्रतिवादीगण

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमू जिला जयपुर।
10. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय चौमू जिला जयपुर।
11. सूजी देवी पुत्री स्व. श्री गुलाब चन्द पत्नी स्व. श्री मुरलीधर जाति जाट, निवासी ढाणी डागरों वाली, ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमू जिला जयपुर।
12. श्रीमती चम्पा देवी पत्नी लखन लाल जाति खटीक निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमू जिला जयपुर।
13. श्रीमती चौथी देवी पत्नी ओमकार मल जाति खटीक निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमू जिला जयपुर।
14. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा चौमू जिला जयपुर।
15. सिन्डीकेट बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा बिलौची, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
16. सिन्डीकेट बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।
17. दी सैन्ट्रल बैंक कापरेटिव बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमू जिला जयपुर।

परफोरमा अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 4 /2023 ब उनवानी श्रीमती प्रभाती देवी बनाम सुवालाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत।




1. श्री दिनेश प्रजापति अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सुशील कुमार यादव अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 12.06.2025


1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 4 /2023 ब उनवानी श्रीमती प्रभाती देवी बनाम सुवालाल व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीटासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर से विन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुशील कुमार यादव ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।


जिला कलेक्टर
जयपुर


बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 नन्दलाल का पुत्र रामू डागर पुत्र नन्दलाल डागर जो कि सहायक लेखाधिकारी के पद पर तहसील परिसर चौमू में पिछले 8 सालों से कार्यरत है तथा अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 नन्दलाल, प्रार्थी-वादीगण को धमकी दे रहा है कि उसके पुत्र रामू डागर की अधिकारियों से अच्छी जान पहचान है तथा वे उपखण्ड अधिकारी को अपने प्रभाव में लेकर प्रार्थीगण के वाद व प्रार्थना पत्र को आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में खारिज करवा देंगे। जिससे प्रार्थी-वादीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा तथा प्रार्थी-वादीगण को न्याय प्राप्त नहीं होगा। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुत्तकिल किये जाने का आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी येनकेन प्रकारेण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने की नीयत से यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः मुत्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावे।
6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु कि अप्रार्थी संख्या 3 नन्दलाल के पुत्र रामू डागरका तहसील परिसर चौमू में पिछले 8 सालों से सहायक लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत होने बाबत किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की है। इसलिए प्रार्थी के कथन को बल मिलता है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 3 का पुत्र तहसील परिसर चौमू में ही पदस्थापित है। अतः न्यायहित में उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप मुत्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
8. उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 4 /2023 ब उनवानी प्रभाती देवी बनाम सुवालाल को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में अन्तरित किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 01.07.2025 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष उपस्थित हो।
9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी चौमू एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।



निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।


(डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर
जयपुर